दस हजार है, डाकघर न खोले जाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने यह नियम बना रखा है कि पांच हजार की जनसंख्या के लिए डाकघर खोला जाएगा और क्या सरकार को इस मामले मे लोगो से आवेदन मिले है;

(ख) क्या यह सच है कि ये गाव गंगा खादर के पिछडे क्षेत्रो मे स्थित हैं जहा डाक के वितरण की समुचित व्यवस्था नही है और मीवान स्थित डाकघर भी अस्थायी है; और

(ग) सरकार ने ऐसा कौन सा सिद्धांत अपनाया है जिसके अनुसार वहा डाकघर नही खोला जा सकता है?

संचार मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय): (क) ऐसा कोई खास नियम नही है कि डाकघर उन सभी गावो मे खोल दिये जायेंगे जिनकी आबादी 5000 है। वास्तविकता यह है कि डाकघर खोलने के लिए आबादी ही एकमात्र मानदंड नही है। निकटतम डाकघर से दूरी भी एक मानदंड है। हुमायूपुर, अकबरपुर, गढ़ी और गढ़ा मे डाकघर खोलने का औचित्य नही सिद्ध होता है, क्योकि ये गाव निकटतम डाकघर से 3.2 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। इन गावो मे डाकघर खोलने के लिये अभी तक कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है।

(ख) डाक सुविधाओ के विकास की दृष्टि से गंगा खादर क्षेत्र को पिछडा हुआ क्षेत्र नही माना गया है। ऊपर (क) मे जिन गावो का उल्लेख किया गया है वे पहले से ही दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत आते है। मीवान का डाकघर एक स्थायी शाखा डाकघर है।

(ग) इस समय डाकघर खोलने के लिये जो मानदंड अपनाया जाता है, उसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-2045/78]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में वेतन का वितरण

5954. श्री दयाराम शाक्य : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों मे वेतन-वितरण सरकारी नियमो के अनुसार महीने की अंतिम तारीख को न करके अगले महीने की 2 तारीख को किया जाता है और उस दिन छुट्टी हो तो 3 अथवा 4 तारीख को वेतन वितरित किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो औषधालयो मे वेतन का वितरण समय पर कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख). दिल्ली के अलावा अन्य नगरो मे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारियो के वेतन का भुगतान महीने के अन्तिम कार्य-दिवस मे किया जाता है। तथापि, दिल्ली मे इसका बहुत बडा संगठन होने और सारी दिल्ली मे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन 82 औषधालयों/यूनिटो के विस्तृत भौगोलिक फैलाव के कारण, सब औषधालयों मे कर्मचारियों के वेतन को प्रशासकीय दृष्टि से भुगतान करना सम्भव नही है, जिसे पुलिस सुरक्षा मे महीने के अन्तिम कार्य-दिवस मे करना होगा। महीने के प्रथम दो कार्य-दिवसों में कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिये प्रबन्ध किए गए है। यदि इन दो दिनों में कोई दिन छुट्टी का आ पड़ता है तो वेतन अगले दिन बांटा जाता है।